


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समाज पर कृतकार कृतमित्र वीडियो
विश्वविद्यालय के सभा दो हो किया जाए त
के लिए उन्हें अपनी वीडियो की जगह है।
समाजिक लेखक पर कर्म पूर्ण में एवं
कृतकार कुरा दो हो एवं कृतकार एवं विद्याक
अवधि विकास लेने लिए जाएं हैं।



लोग : गृहीतिकी
दृष्टिकोण : (0751) 2441876
(0751) 2442822
फैक्टरी : (0751) 2241766

घोषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ-सम्बन्धता/2012/ ५८९९

दिनांक: २३/०१/१३

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध आट-ए-एस.सी. कॉर्सेक, व्याविचार (0751 2445920), को सन् 2011-12 एवं 2012-13 के लिए प्रत्यावृत्त लेखालित भी.एम., प्राथमिक उच्चापाठ्यक्रमों विषयों की अध्यात्मी सम्बन्धता हेतु अनुसंधान प्राप्त करने के लिये मानवीय कूलपाठों महोदय-उच्चावी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर जो विश्वविद्यालय अधिकारियता 1973 के परिवेशन 27(1)(g) के अन्तर्गत विभागानुसार लिए गये हैं -

- (1) प्रो. एके. हन्ते, आचार्य, ग्राम्यन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संघोनक)
(0751-2442769)
(2) प्रो. डी.एन. गोस्यामी, आचार्य, कम्बूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(3) डॉ. रेक्ट श्रीवास्तव, प्राचार्य, बोस्टन महाविद्यालय, ग्वालियर।

विदीक्षण समिति के तदर्थों से अनुरोध है कि वे परिवेशन 27/28 के प्राप्तान्तरों के अनुकूल नामाविद्यालय का प्रत्यक्ष लिटीक्षण कर थुक, घोटाल गरी, दाउनिट शैक्षणिक-अधीक्षणिक स्टॉफ़, प्राप्तिकृत उत्तम से प्राप्त अनुभवी/अनापवित्र प्रमाण-पत्र, भवन, कृषि एवं एवं पाद्यक्रम/आविद्यालय विदीक्षण की 45 दिवस में पूर्ण हो सकें तथा को पूर्ण नव प्रमाण पत्र के तारा प्राप्तवर्ग/शैक्षणिक एवं अवैश्विक ट्रॉफ़ की विषयिकाओं का प्रमाण एवं बेलन आदि के बारे में व्यष्ट विद्यानुसारे अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) यह लिखे गये विराग्यानुग्रह विदीक्षण समिति द्वारा 30 विन में भवाविद्यालय का लिटीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय वर्गावलय में लिटीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत विद्या लाभ। जिससे कि उत्तमपूर्ण कार्यवाही (भवाविद्यालय विदीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकें एवं नामाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने गाती अस्थायी सम्बन्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बन्धता अंदरी कार्यवाही पूर्ण हो सकें तथा शालब के विदेशी का पालन सुविधिवत किया जा सकेंग।

जबकि अ-45 दिवस में Report प्राप्त न तो वे की विद्याति ने अब माना जाएगा कि भवाविद्यालय का विदीक्षण वही हुआ है। विभागानुसार अलाइट ज्ञान करावार व्यवस्था समिति गतिकी जावेगी। जिसे 15 दिवस में लिटीक्षण ट्रिपोर्ट प्रस्तुत करना अविवादी होगा। परिवेशन 27(1)(7) के अनुसार सम्बन्धता द्वारा यिए विभाग छात्रों को प्रवेश देना अवैधिक है।

लिटीक्षण समिति के द्वारा सम्बन्धता शाला में कार्यस्थल अधीक्षक / कार्यालय संसाधन प्राप्तवली लिंक जावें तथा भवाविद्यालय की वस्तुस्थिति से लिटीक्षण समिति को अवगत करावें। लिटीक्षण समिति के तदर्थों का दी.प. / दी.प. / मानवीय भवाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3/01/13
कुलसचिव

प्रतिलिपि -

1. समाज सदरवर्य की ओर शुभनार्थ एवं आयश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संनिवेश भवाविद्यालय की ओर भेजकर प्राप्त है कि समिति के दायोनक से उंपक उत्थापित कर लिटीक्षण विभाग लिंपार्टेट कर सम्बन्धित विद्यालय का विदीक्षण करायें। उक्त विदीक्षण 15 दिवस के अन्तर करावे की व्यवस्था करें।
3. आपुका उच्च विषया, उत्तमपूर्ण भवन, गोपाल
4. कूलपाठी के सचिव / कुलसचिव के विजी राहानक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

R
सहायक कुलसचिव (सम्बन्धता)